न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

:- दो अपीलें :-

पहली अपील :-

अपील संख्या - 92/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान - 1 थावरमल पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान (फौत)

1/1 सुमरती देवी बेवाह थावरमल

1/2 शुकम पाल पुत्र थावरमल

1/3 कुणाल पुत्र थावरमल

1/4 पूनम पुत्री थावरमल

---- प्रतिवादी अपीलाट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर

---- वादी रेस्पो0

2 शेरसिंह पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर

3 दयाराम पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर

4 मेहरसिंह पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा

5 लीलाराम पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा

6 सारोती देवी पत्नी हरिसिंह जाति अहीर निवासी खरखडा

7 बाबूलाल पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8 कंवरसिंह पुत्र साधु जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर

9 रामावतार पुत्र साधु जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा

10 सुरथ देवी पत्नी महेन्द्रसिंहज जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर

11 हनुमान पुत्र छाजू जाति अहीर निवासी ग्राम लाखा की ढाणी तहसील बहरोड जिला अलवर

12 रतीराम पुत्र छाजू जाति अहीर निवासी ग्राम लाखा की ढाणी(फौत)

12/1 गुलाब देवी पत्नी रतीराम

12/2 सुरेन्द्र पुत्र रतीराम

12/3 कमलेश पुत्री रतीराम

12/4 कृष्णा पुत्री रतीराम

12/5 सूतला पुत्री रतीराम

12/6 मुकेश पुत्र रतीराम

12/7 मनोज पुत्री रतीराम

13 उप पंजीयक तहसील बहरोड

14 लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड

:--असल प्रति0 रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री उपखंड अधिकारी दिनांक 29.6.2018

उपस्थि :- 1. वकील अपीलांट :- श्री राजवीर सिंह

2. वकील रेस्पो0ंस01 :- श्री महावीर सैनी

3. वकील रेस्पो02,4,7 :- श्री दाताराम यादव

4. वकील रेस्पो012/1 से 12/7 :- श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5. वकील रेस्पो0सं08से11:– श्री राहुल गुप्ता

दूसरी अपील:–

अपील संख्या :– 95/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0 एक्ट

उनवान :– 1. शेरसिंह पुत्र श्योसहाय

2. दयाराम पुत्र श्योसहाय

3. मेहरसिंह पुत्र अमीलाल

4 लीलाराम पुत्र अमीलाल

5. सरोती देवी पत्नी हरिसिंह जाति अहीर

6. बाबूलाल पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादीगण अपीलांट

बनाम

1 जगदीथ प्रसाद पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर

:--- वादी रेस्पो0

2 थावरमल पुत्र श्योसहाय जाति अहीर (फौत)

3 क्वंरसिंह पुत्र साधू जाति अहीर

4 रामावतार पुत्र साधू जाति अहीर

5 सुरेथ देवी पत्नी महेन्द्र जाति अहीर
निवासीयान ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर

6 हनुमान पुत्र छाजू जाति अहीर

7 रतीराम पुत्र छाजू जाति अहीर (फौत)
निवासीयान ग्राम लाखा की ढाणी तह0 बहरोड जिला अलवर

8 उप पंजीयक बहरोड तहसील बहरोड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

9 लैंड होल्डर तहसीलदार बहरोड

:--तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री उपखंड अधिकारी बहरोड दिनांक 29.6.18 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.12.17

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री दाताराम यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री महावीर सैनी

3. वकील रेस्पो0 संख्या 7/1 से 7/7 :- श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

4. वकील रेस्पो0 3,4,6 :- श्री राहुल गुप्ता

निर्णय

दिनांक 26.02.21

---

1 प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार समान है, तथ्य समान है और एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत की गई है । इसलिये इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में एक वाद बाबत आराजी खसरा नम्बर 169/570, 269, 479/554, 516, 402, 448, 541, 419, 462, 466, 467, 469, 484, 401 वाके ग्राम खरखडा तहसील बहरोड का तकासमा कराने हेतु प्रस्तुत किया, जिसमें पहले तो प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.12.17 पारित की गई थी । तत्पश्चात कुर्रेजात रिपोर्ट तलब कर अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.18 पारित की गई थी । प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.12.17 व अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.18 के खिलाफ अपील संख्या 95/18 प्रस्तुत की गई है तथा अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.18 के खिलाफ अपील संख्या 92/18 प्रस्तुत की गई है ।

3 अपील संख्या 92/18 में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहसीलदार ने कुर्रे रिपोर्ट मौका व कब्जा अनुसार नहीं बनाई है । स्वयं तहसीलदार मौके पर नहीं गया । सभी पक्षकारान की मौजूदगी में कुर्रे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

कायमी नहीं की गई है । आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है । आराजी खसरा नम्बर 448 का वादी खातेदार नहीं है । फिर भी वादी ने इस खसरा नम्बर की बाबत दावा प्रस्तुत कर दिया और इसकी डिक्री भी पारित कर दी गई । अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं करवाई गई । खसरा नम्बर 467 में से 6 एयर भूमि हरिसिंह ने अपीलांट को कर दिया । लेकिन किसी कारणवथ अपीलांट का बयनामा नहीं हो पाया था । अपीलांट ने इस 6 एयर का कब्जा दक्षिण की ओर लिया था, परन्तु यह हिस्सा विभाजन में दयाराम को दे दिया गया । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 अपील संख्या 95/18 में विद्वान वकील अपीलांट ने तर्क दिये कि तहत अदालत में गलत कुर्रे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । हमारी इकतरफा कर दी गई । हमारी प्रोपर तामील नहीं हुई । हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व नियम 13 का प्रस्तुत किया । परन्तु उसका निस्तारण नहीं किया गया और अंतिम डिक्री पारित कर दी गई । आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया । आराजी खसरा नम्बर 419, 462, 466, 467, 469 का खातेदार श्योसहाय को होना वादी ने वाद पत्र में अंकित किया है । परन्तु इन आराजीयात की विरासत श्योसहाय के वारिसान के नाम अंकित नहीं हुई है । ऐसे तकासमा नहीं किया जा सकता । खसरा नम्बर 401 का वादी खातेदार नहीं है । ऐसे उसे दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

5 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि विभाजन की डिक्री कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर पारित की गई है । कुर्रे कायमी मौका एवं रिकार्ड अनुसार सही बनाई गई है । इनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । आपत्ति प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया गया है । विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

6 विद्वान वकील तरतीबी रेस्पो0 का कथन है कि मौका एवं रिकार्ड अनुसार सही रिपोर्ट नहीं बनाई गई है । रकबा पूरा कराने हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

7 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । हम यहां धारा 53 आर0 टी0 एक्ट के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं । जिसके लिये हमें यह देखना है कि विभाजन के नियमों के नियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

18 से 21 की पालना की गई है अथवा नहीं । कुर्रजात रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि यह रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के आदेश से मौके पर जाकर बनाई गई है । स्वयं तहसीलदार मौके पर नहीं गया है । जबकि विभाजन के नियमानुसार तहसीलदार को स्वयं कुर्रे कायमी हेतु मौके पर जाना चाहिये । सभी पक्षकारान की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है । आपत्ति प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया । इतना ही नहीं, कुर्रे रिपोर्ट के साथ नजरी नक्था भी प्रस्तुत नहीं किया है । जबकि विभाजन के नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कुर्रे रिपोर्ट के साथ नक्था भी बनाया जावे । जिसमें पक्षकारान के कब्जा अनुसार विभिन्न रंगों से नक्था में तितम्बा काटकर बटा नम्बर डाला जावे । प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 प्रस्तुत किया था, परन्तु उसका निस्तारण नहीं किया गया और अंतिम डिक्री पारित कर दी गई,जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोथनी में यह सिद्ध है कि विभाजन की डिक्री पारित करने में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । इसलिये अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि हर दोनों अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.18 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनकर विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये पुनः अंतिम डिक्री पारित करें । जहां तक अपील संख्या 95/18 में अपीलांट का अनुतोष प्राथमिक डिक्री निरस्त कराने के बारे में है तो इस सम्बन्ध में अदालत हाजा का विनम्र मत है कि प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित हो चुकी है । इसलिये अब इस बिन्दू पर कोई आदेश देना विधिसम्मत नहीं है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दि. 26.3.21 को पेश हो।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर